

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 के नियम 129)

आदेश पत्रक ता० से तक
केस का प्रकार TA Misc. Case No. 90/2019-20

आदेश पत्रक संख्या क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ												
25.7.19	आवेदक/आवेदिका पौदा सुन्डी, पिता- स्व० भुगंडु सुन्डी, जाति- हो (अ.ज.जा.), ग्राम- भालियाकुदर वार्ड नं०-02, पो०+थाना- चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। मौजा- नगरपालिका चक्रधरपुर वार्ड नं०-08, थाना नं०-68, खाता नं०- 41, खेसरा नं०- 60, रकवा-2 डि० 500 वर्गकड़ी, क्रेता सिंगराय सामड, पिता- जोटेराम सामड, जाति- हो (अ.ज.जा.), ग्राम- भारनिया, थाना- चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के पास जमीन बक्री/भू-हस्तांतरण हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत अनुमति हेतु आवेदन समर्पित किया है जमीन का विवरण है:- <table border="1"> <thead> <tr> <th>मौजा</th> <th>थाना सं०</th> <th>थाना</th> <th>खाता सं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकवा एकड़ में</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>नगरपालिका चक्रधरपुर वार्ड नं०-08</td> <td>68</td> <td>-</td> <td>41</td> <td>60</td> <td>2 डि० 500 वर्गकड़ी</td> </tr> </tbody> </table> आवेदक चिकित्सा हेतु 3,00,000/- (तीन लाख) रुपये की आवश्यकता होने के कारण आवेदित भूमि का कुल रकवा 2 डि० 500 वर्गकड़ी को कुल कीमत 3,00,000/- (तीन लाख) रुपये मात्र में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत बिक्री करना चाहते हैं। आम सूचना निर्गत करें और अंचल अधिकारी चक्रधरपुर से अपना जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट मंतव्य सहित दिनांक 9.8.19 तक मांग करें। अभिलेख दिनांक 10.8.19 को उपस्थापित करें।	मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा एकड़ में	नगरपालिका चक्रधरपुर वार्ड नं०-08	68	-	41	60	2 डि० 500 वर्गकड़ी	
मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा एकड़ में									
नगरपालिका चक्रधरपुर वार्ड नं०-08	68	-	41	60	2 डि० 500 वर्गकड़ी									

25.7.19
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।